


समय माया



R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

वर्ष 17

अंक 22

प्रति सोमवार इंदौर, 1 जनवरी से 7 जनवरी 2024

पृष्ठ 8

मूल्य 5/- रुपए

भारतीय व्यावसायिक जहाजों पर हैती जलदस्युओं का अरब व लाल सागर में हमला चीन द्वारा देश की समुद्री सुरक्षा का परीक्षण का खेल

सारा सच जानकार भी चीन के खिलाफ 56' मोदी ने कभी मुंह नहीं खोला



मोदी की चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मित्रता की नौटंकी पिछले 10 सालों में जनता ने देखी है वह जब मुख्यमंत्री था चार बार और प्रधानमंत्री बनने के बाद तीन बार चीन की यात्राओं पर गया यह पाखंडी जल कितनी भी नौटंकी करें दुनिया का कोई भी देशका राष्ट्रीय अध्यक्षसे बात करना वह देखना पसंद नहीं करता। केवल मजबूरी में अन्य राष्ट्रध्यक्षों द्वारा राजनायिक शिष्टाचार में इसके अभिवादन में मुस्कुराने हाथ मिलाने और मिलने की नौटंकी का नाटक खेला जाता है। जिनपिंग के लिए मोदी की औकात एक पाले हुए राष्ट्रध्यक्ष के अलावा कुछ भी नहीं वह उसको विभिन्न वाहनों से पैसा देने के साथ-साथ भारत के पूरे बाजार को सफाई कैशलेस नोटबंदी

जीएसटी और तालाबंदी के नाम बर्बाद करते इसको चीन का उपभोक्ता राष्ट्र बना दिया।

चीन न केवल हमारे सीमांत क्षेत्रों में लेह लद्दाख गंगटोक सिक्किम अरुणाचल से लेकर म्यांमार तक वह हमारी सीमा में अतिक्रमण कर हजारों किलोमीटर की सीमाना केवल हड़प चुका है वर्णन वहां पर उसने सुगम यातायात के लिए हवाई पट्टी रेलवे और स्थल मारुंगा निर्माण कर लिया है।

अरब सागर में एमबी केम प्लंटो पर ड्रोन हमले और लाल सागर में वाणिज्य कच्चे तेल के जहाज एमबी साई बाबा पर मिसाइल हमले पर थोड़ी सी गंभीरता दिखलाई है हैतीकी

जलदस्युओं ने हमले की जिम्मेदारीस्वीकार करते कहाकि इसराइल वज्हा से जुड़े हुए सभी प्रकार के जाटों परजब तक युद्ध बंद नहीं होता लगातार हमले किए जाते रहेंगेतो अगर यह कथा सच भी हैतो क्या इजराइल का व्यापार केवल भारत से ही हो रहा है। इजराइल का व्यापार आपने देखा कि उसके सॉफ्टवेयर को दुनिया के कई देशों ने अपने यहां लगाकर अपने ही इसके पत्रकारों अधिकारियों से जुड़ी संस्थाओं सब की जासूसी की थी। अर्थात् चीन जैसे फिलीस्तीनियों को इसराइल के खिलाफ हथियार गोला बारूद व अन्य साधन उपलब्ध करवा रहा है। (शेष पेज 2 पर)

अदानी की खदानों के लिए किया जाएगा नक्सली खत्म करने के नाम आदिवासियों का कल्लेआम

छग में कठपुतली आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का षड्यंत्र



इवीएम की जालसाजी से सत्ता हथियाने का मूल उद्देश्य यही था। कि किसी भी प्रकार सट्टा हथियार और वहां पर कीमती स्वर्ण यूरेनियम लिथियम के मोनाजाइट क्रोमोजाइट जैसे अनेकों धातुओं के खनिजों से लेकर कोयला अभी तक जो छत्तीसगढ़ की भूमि में 36 से ज्यादा प्रकार के खनिज रत्नों का भंडार है। उन पर कब्जा कर अदानी को सौंपने के लिए बार-बार चुनाव प्रचार के नाम पर मोदी व अमित शाह छत्तीसगढ़ जा रहे थे अब जब सत्ता हथिया ली। अपना कठपुतली मुख्यमंत्री बैठाते साथ ही मोदी के आका अदानी ने छत्तीसगढ़ के जंगलों को साफ करखनिज से लेकर कोयल तकखनन का काम शुरू कर दिया जिसके खिलाफ आदिवासियों ने आवाज उठाना शुरू कर दी और उनकी आवाज को कुचलने के लिए। इसीलिए मोदी नक्सलबाद खत्म करने के नाम पर तीन बटालियन वहां भेज रहा है। इस कड़वे सच को छुपाने के लिए, अपनी जन जल जमीन जंगल जानवरों की आंखों को बचाने उसकी

आवाज उठाने वालों को नक्सलियों के नाम पर नरसंहार का तांडव की साजिश रच दी गई है। देश की जनता को छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता वह उसके हकों को बचाने की, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के चुनावों में से इवीएम हटाने तीनों राज्यों के चुनाव रद्द करने की लड़ाई में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना ही होगा वरना अभी छत्तीसगढ़ का नंबर लगा है फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की भूमि में भी कीमती बहुमूल्य रतन से लेकर धातुओं और जीवाश्म तेल कोयले तक के भंडारों की लूटमार और पूंजी पतियों के षड्यंत्र को रोकने के लिए संघर्ष के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। क्योंकि रंग बिलारी पहले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचार को पर दबाव बनाकर उसे पर कब्जा किया फिर उसके

माध्यम से भाजपा में घुसकर उसके नेताओं पर कब्जा कर सकता हथिया कर चारों तरफ अपराधियों ने लूटमार महंगाई भूख बेरोजगारी नशा अपराधों हिंसा रक्तपात नरसंहार आदि का तांडव कर दिया है। सारी विपक्षी पार्टियों व उनके नेताओं को डरा धमका उनका मुंह बंद कर बेबात 146 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर कर मनमाने कानून विधेयक पास करने का षड्यंत्र जनता ने देखा ही है। आवश्यकता अब जनता को न केवल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान वरन पूरे देश को देश की संपत्तियों, संस्थाओं, जन जमीन जंगल जानवरों जल वायु को इन अपराधियों और पूंजी पतियों के चंगुल से बचाने के लिए सड़कों पर उतर भीषण आंदोलन करना ही पड़ेगा? (शेष पेज 7 पर)

● सत्ता प्रदेश की पर चलेगी दिल्ली से...

मोहन कठपुतली... सारे निर्णय दिल्ली से

इवीएम की डकैती का माल तो मनमर्जी से ही बंटेगा

केंद्र की सत्ता में बैठे जाहिल धूर्तों ने प्रदेश में कठपुतली मुख्यमंत्री से लेकर सभी विभागों के मंत्रियों का निर्णय कर लिया गया।

मथुरा की वर्तमान वित्त स्थिति अत्यधिक नाजुक दौर से गुजर रही है जिसका कारण पूर्व में नियुक्त वित्त मंत्री देवड़ा ही रहा है और इस देवड़ा को पुनः प्रदेश का वित्त मंत्री का प्रभार सौंप दिया गया है। निषिद्ध कर दिया प्रदेश की यथार्थ उन्नति समृद्धि मजबूती से केंद्र की सरकार को कोई मतलब नहीं उसे तो अपने हिस्से की मोटी कमाई के लिए ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो हर जगह

हर कार्य में जनता और राज्य की स्थिति को त्याग केंद्र की सत्ता के अनुकूल निर्णय दे वह काम कर उनके पूंजीपति मित्रों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गुजराती मित्रों का फायदा करवाने में कोई भी न नुकुर ना करें। जैसा उनका आदेश हो वे नाचते रहे। नियम कानून जनहित का कोई औचित्य या प्रश्न खड़ा ना करें, न हो। मोटे कमीशन के लिए प्रदेश के वित्त का योजनाओं संचालन आवंटन केंद्रीय सत्ता के अनुकूल किया जाता रहे का ख्याल रखना मुख्य वह वित्त मंत्री के लिए आवश्यक है। अन्य सब बदल दिए



जाओगे। जगदीश देवड़ा उपमुख्यमंत्री को पुनः वित्त विभाग वाणिज्य कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी का मंत्री बना दिया गया है इन्हीं के कार्यकाल में पिछले 3 सालों में प्रदेश सरकार ने लगभग डेढ़ लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। कुल कर्ज की सीमा अपनी अंतिम पांच लक्ष्य करोड़ की सीमा पर आ चुकी है और

अब बाजार से कार्ड नहीं मिलेगा दूसरी तरफ देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल गैस जिस पर लगभग जिस पर लगभग 40% वेट कर व शराब पर 150% से ज्यादा आबकारी वसूली के साथ जो वेट लगभग ढाई सौ वस्तुओं पर लगाया जाता था अब 1500 से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं पर भारी भरकम 12 से 28% माल

एवं सेवा कर वसूलने के बाद में भी जिसका सीधा आधा राज्य सरकार को मिलता है। वित्तीय स्थिति लगातार भ्रष्टाचार मनमानी खर्च अनावश्यक मोटे कमीशन के लिए निर्माण कार्यों करवाने में निवेदिता करने के कारण बिगड़ती चली जा रही है। अकेले मुख्यमंत्री सीएम राज्य स्कूल के नाम परप्रदेश भर में अपने नाम को स्थायित्व देने के

लिए निर्माण करवाई जा रहे हैं जिसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है जो प्राथमिक वह माध्यमिक विद्यालय छोटे-छोटे गांवों से लेकर शहरों तक पुराने भवन में बने हुए हैं उनको ही उद्धार कर लेते तो यह आना आवश्यक खर्च बचाया जा सकता था दूसरी तरफ कम राय स्कूल के नाम पर पिछले 10 सालों में आने को बाहर आने को भवन तोड़े और बनाए गए जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ इंदौर में ही नंदा नगर में ऐसे दो-तीन स्कूल हैं जिनके निर्माण कार्यों का आधा पैसा संबंधित विकास प्राधिकरण नगर निगम लोक निर्माण विभाग का भवन निर्माण, गृह निर्माण मंडल आदि ने मिलकर हजम कर लिया

(शेष पेज 6 पर)

संपादकीय

नव वर्ष, नई सत्ता करें
जन हित, रोजगारो का
सृजन, भर्तीयां पदोन्नतियां

भारत में कहावत है। लूट का माल लूट और छूट में ही जाएगा। स्वाभाविक है लोकतंत्र की हत्या कर डीवीएम की जालसाजी से जिस प्रकार से दिल्ली ने प्रशासनिक अधिकारियों को डरा धमका और जनता की इच्छा व मतदान के विपरीत तीन प्रदेशों में कूट षडयंत्रों से सत्ता हथियाई गई। वह अपनी इच्छा भी प्रदेश के शासन तंत्र पर ला देगी। औलाद रही है 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद भी 10-15 दिनों तक मुख्यमंत्रियों का निर्णय नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री को निर्णय के बाद मंत्रियों का निर्णय होने में भी 10 दिन लगभग लग गए और बाद में मंत्रियों का निर्णय होने के बाद विभागों के निर्णय में भी सप्ताह लग गया। चुनाव की घोषणा के 3 महीने पहले से ही आचार संहिता लग गई थीतब से काम धामथप्पड़ पड़े हुए थे और एक महीना इसमें भी गुजर गया। अब तीनों प्रदेशों की सत्ता चलाई नहीं जायेगी अब दिल्ली से हांकी जा रही है। चलिए 2024 की सत्ता अगर दिल्ली से हांकी जा रही है। तो भी गैर अनुभवी मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे शांत रहकर गहराई से हर तथ्य का अध्ययन कर सबसे पहले वित्तीय व्यवस्था सुधारने के साथ अपने प्रदेश के सभी मंत्रालयों में बैठे सभी राज्य शासन के अधिकारियों डॉक्टर इंजीनियर निरीक्षकों, कर्मचारियों की शीघ्र स्थायी पदोन्नतियां करें। प्रभार से प्रभार का खेल खत्म करें। सभी विभागों में 20-30% अधिकारी कर्मचारी रह गए हैंलेकिन शीघ्र भर्तीयां संविदा, ठेका कर्मियों में से करने, नियमित करने के साथ अधिकारियों इंजीनियर और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने शीघ्र भर्तीयां की व्यवस्था कर सभी विभागों में तंत्र को मजबूत करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में स्वास्थ्य कार्यों को संपन्न करने में अनावश्यक आर्थिक नैतिक सामाजिक पतन का सामना न करना पड़े। वर्तमान में सभी मंडलों के अधिकांश विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों के अभाव में अनेको योजनाओं का समय पर सुचारू क्रियान्वयन नहीं हो पाता। जिससे जनता को उसका लाभ नहीं मिलता कई बार कई योजनाओं के बिलंब से कार्यन्वित करने के कारण लागत बढ़ती है। गुणवत्ता घटती है। जिसकी क्षति प्रदेश की सरकार और जनता को उठानी पड़ती है। नव वर्ष में नई सरकार को चुनौतियों का अंभार है। धन का अभाव है। पर यह भारत अतीत में ही सोने की चिड़िया नहीं था। वर्तमान में भी सोने की चिड़िया ही है। जिसके गर्भ में धातुओं से लेकर कीमती रत्नों का भंडार भरा हुआ है। धरा पर उसकी उर्वरा कृषि भूमि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ काली भुरभुरी मिट्टी की भूमि है। उससे निकलने वाला अनाज दलहन तिलहन की फसलों का सोना है। यदि सही हाथों में देश का वित्तीय प्रबंधन हो, अनावश्यक लालच और खर्चों को त्याग दिया जाए तो आसानी से हम देश की जनता की राष्ट्र की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संपदाओं संपत्तियां संस्थानों संस्थानों आदि को सफलता के साथ संचालित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुखी समृद्ध विकसित और राष्ट्र सौंपने में सक्षम होंगे। बस आवश्यकता है तो सत्ताधीशों को अपने स्वार्थों को त्याग ईमानदारी से भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख वित्तीय स्थिति का प्रबंधन करना है।

चीन द्वारा देश की समुद्री सुरक्षा का परीक्षण का खेल

पेज 1 का शेष

व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में निगरानी बढ़ाई

अरब सागर और लाल सागर में दो भारतीय व्यापारिक जहाजों पर हाल के हमलों की पृष्ठभूमि में, भारतीय नौसेना ने आज कहा कि उसने मध्य और उत्तरी अरब सागर में समुद्री निगरानी प्रयासों में काफी वृद्धि की है और बल के स्तर में वृद्धि की है।

भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी घटना की स्थिति में व्यापारिक जहाजों को सहायता प्रदान करने के लिए विध्वंसक और फ्रिगेट तैनात किए गए हैं।

संपूर्ण समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों और टोही गश्ती विमानों द्वारा हवाई निगरानी को बढ़ाया गया है। भारतीय नौसेना भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की प्रभावी निगरानी के लिए तटरक्षक बल के साथ निकट समन्वय में काम कर रही है।

बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के समन्वय से भारतीय नौसेना द्वारा समग्र स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य और उत्तरी अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर समुद्री सुरक्षा घटनाएं बढ़ी हैं।

भारतीय तट से लगभग 700 समुद्री मील दूर एमवी रुएन पर समुद्री डकैती की घटना और गुजरात के पोरबंदर से लगभग 220 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एमवी केम फ्लूटो पर हाल ही में हुआ ड्रोन हमला, भारतीय ईईजेड के करीब समुद्री घटनाओं में बदलाव का संकेत देता है।

भारतीय नौसेना अपने तट पर हमले के बाद निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाजों को तैनात करेगी

भारतीय नौसेना के अधिकारी 18 दिसंबर, 2022 को मुंबई, भारत में प्रोजेक्ट 15वी के स्टील्य गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक जहाज आईएनएस मोर्मुगाओ के कमीशनिंग समारोह के दौरान उसके डेक पर खड़े हैं।



सप्ताहांत में भारतीय तट पर एक इजराइल-संबद्ध व्यापारिक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारतीय नौसेना निवारक के रूप में अरब सागर में निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाजों को तैनात करेगी। नौसेना के एक बयान में कहा गया है कि नौसेना जहाज एमवी केम फ्लूटो पर हमले की प्रकृति की जांच कर रही थी, जो सोमवार को मुंबई में रुका था और शुरुआती रिपोर्ट में ड्रोन हमले की ओर इशारा किया गया था।

बयान में कहा गया, 'हमले के स्रोत को स्थापित करने के लिए आगे फोरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता होगी, जिसमें इस्तेमाल किए गए विस्फोटक के प्रकार और मात्रा भी शामिल है।'

रक्षा मंत्री ने मंगलवार को कहा कि भारत समुद्री व्यापार के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

एक अन्य निर्देशित मिसाइल विध्वंसक के कमीशनिंग समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा, 'भारत पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार समुद्र से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे।'

सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमवी केम फ्लूटो पर ड्रोन हमले और लाल सागर में वाणिज्यिक कच्चे तेल के जहाज एमवी साई बाबा पर पहले हुए हमले को बहुत गंभीरता से लिया है।

उन्होंने कहा, 'भारतीय नौसेना

ने समुद्र में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। इस हमले के लिए जो भी जिम्मेदार है हम उसका पता लगाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'

ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अमेरिका के इस दावे को 'निराधार' बताया कि ईरान ने भारत के पास जहाज पर हमला किया था।

पेंटागन ने शनिवार को कहा कि ईरान से लॉन्च किया गया एक ड्रोन हिंद महासागर में एमवी केम फ्लूटो पर गिरा। यह हमला तब हुआ जब अमेरिका के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स लाल सागर में इसी तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है।

नौसेना के बयान में कहा गया है, 'अरब सागर में हाल के हमलों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नौसेना ने निवारक उपस्थिति बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, आईएनएस मोर्मुगाओ, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता को तैनात किया है।'

जहाज के चालक दल में 21 भारतीय और एक वियतनामी नागरिक शामिल थे।

व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में निगरानी बढ़ा दी है

अरब सागर और लाल सागर में दो भारतीय व्यापारिक जहाजों पर हाल के हमलों की पृष्ठभूमि में, भारतीय नौसेना ने आज कहा कि उसने मध्य और उत्तरी अरब सागर में समुद्री निगरानी प्रयासों में काफी वृद्धि की है और बल के स्तर में वृद्धि की है।

भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी घटना की स्थिति में व्यापारिक जहाजों को सहायता प्रदान करने के लिए विध्वंसक और फ्रिगेट तैनात किए गए हैं।

उदुत समाचार लिंक सभी नवीनतम समाचारों के लिए, डेलेटी स्टार के उदुत समाचार चैनल को फॉलो करें।

संपूर्ण समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों और टोही गश्ती विमानों द्वारा हवाई निगरानी को बढ़ाया गया है। हमारे नई दिल्ली संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नौसेना भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की प्रभावी निगरानी के लिए तटरक्षक बल के साथ निकट समन्वय में काम कर रही है। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के समन्वय से भारतीय नौसेना द्वारा समग्र स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

पिछले कुछ हफ्तों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य और उत्तरी अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर समुद्री सुरक्षा घटनाएं बढ़ी हैं।

भारतीय तट से लगभग 700 समुद्री मील दूर एमवी रुएन पर समुद्री डकैती की घटना और गुजरात के पोरबंदर से लगभग 220 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एमवी केम फ्लूटो पर हाल ही में हुआ ड्रोन हमला, भारतीय ईईजेड के करीब समुद्री घटनाओं में बदलाव का संकेत देता है।

मप्र लोक निर्माण विभाग प्रभार से प्रभार में

प्रभार के लिए प्रभार व्यय भ्रष्टाचार से निकालना मजबूरी

प्रमुख से मुख्य अभियंता से अधीक्षण यंत्री से सहायक यंत्री तक 90% शाहरूख खान हिस्ट्री इंजीनियर अपने वरिष्ठ पदों परमोटा पैसा लेकर वरिष्ठता के प्रभार पर कार्यरत हैं। स्वाभाविक हैकी वरिष्ठ पद पर पदोन्नति के लिए वर्तमान कनिष्ठ पद पर रहकर जब तक भ्रष्टाचार जाल साजियों से धन नहीं कमाया जाएगा

तो वरिष्ठ पद का प्रभाव पाने के लिए धन कहां से खर्च किया जाएगा और यही तक नहीं की एक बार प्रभार देकर प्रभारी बेस्ट पत्नी बैठा दिया गया वर्ण उसके पीछे एक छुपा हुआ कार्यक्रम और भी है जिसे बोलते हैं महीने की ईएमआई चुकाने पर ही आप उस वरिष्ठ पद पर कार्यरत रह सकते हैं। तो इसलिए

की शुरुआत प्रमुख अधिनियम अभियंता पर बैठे से लेकर उपयंत्रियों तक की करें। वर्तमान के प्रभारी प्रमुख अभियंता एसआर बघेल दो पद वरिष्ठता के क्रम में वह बंदा मोटी कमाई भ्रष्टाचार सेसीधे ही दो पद ऊपर प्रमुख अभियंता बन बैठेह बजट के आवंटन में प्रतिशत से लेकर सभी बड़े सड़क

निर्माण रखरखाव प्रोजेक्ट में प्रतिशत की वसूली के बाद ही प्रदेश के 150 से ज्यादा इंजीनियर मूल पद से एक दो पद आगे के पदों पर किसी प्रभार देने वसूलने चुकाने में जमकर बैठे हैं। अभी भी प्रमुख अभियंता बने बैठे एस आर बघेल अधीक्षक यंत्री से सीधे इसी धन के दम पर बिना मुख्य अभियंता

बने प्रमुख अभियंता बना दिए गए। हर टेंडर और आवंटन पर ही सीधा एक दो प्रतिशत वहीं घुसोली की जाएगी वैसे भी ऐसा बघेल नहीं प्रभारी मुख्य अभियंता रहते हुए इंदौर के क्रियान्वयन निकाय में लगभग 12 जिलों का भवन निर्माण का काम देखा और निश्चित प्रतिशत के हिसाब से न केवल निविदाओं

की स्वीकृति कार्यदिश या निविदाओं ठहरो पत्र पर हस्ताक्षर के समय ही वसूली करने के साथ समय व लागत वृद्धि, कार्य का समय विस्तार, अतिरिक्त स्वीकृति के नाम पर भी मोटी कमाई की वैसे प्रमुख अभियंता पद पर आसीन एस आर बघेल का जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध होने के साथ उसकी जांच भी लंबित है।

हल्दी के औषधीय गुण



मसालों के मामले में भारत एक धनी देश है। यहां अलग-अलग व्यंजनों के लिए सामान्य से लेकर खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, इनमें कुछ ऐसे भी मसाले हैं, जिन्हें अपने औषधीय गुणों की वजह से आर्युवेद में विशेष स्थान दिया गया है। हल्दी इन्हीं में से एक है। माना जाता है कि स्वास्थ्य के लिए हल्दी के फायदे अनेक हैं। यही वजह है कि स्टाइलक्रेज के इस लेख में हम हल्दी के औषधीय गुण बताने जा रहे हैं। यहां आप जान पाएंगे कि सामान्य सी दिखने वाली हल्दी का उपयोग किस प्रकार शरीर को लाभ पहुंचाने का काम कर सकता है। हल्दी के फायदे के साथ इस लेख में हल्दी के नुकसान के बारे में भी बताया गया है। लेख को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि हल्दी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, यह केवल समस्या से बचाव और उनके प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मददगार हो सकती है।

हल्दी के औषधीय गुण अनेक हैं, जिनमें एंटीइन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीट्यूमर, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, कार्डियोप्रोटेक्टिव (हृदय को स्वस्थ रखने वाला गुण), हेपटोप्रोटेक्टिव (लिवर स्वस्थ रखने वाला गुण) और नेफ्रोप्रोटेक्टिव (किडनी स्वस्थ रखने वाला गुण) गुण मुख्य हैं। हल्दी का उपयोग शरीर के लिए प्रकार लाभदायक हो सकता है।

लिवर डिटॉक्स करने के लिए हल्दी के फायदे

लिवर से विषाक्त तत्व निकालने और लिवर को डिटॉक्सीफाई करने में हल्दी सहायक हो सकती है। एनसीबीआई (NCBI – The National Center for Biotechnology Information) की वेबसाइट पर प्रकाशित चूहों पर किए गए एक शोध के अनुसार, हल्दी के डिटॉक्सिफिकेशन और एंटीऑक्सीडेंट गुण मरकरी युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन (Mercury Toxicity – खासतौर पर सी फूड के सेवन से) से होने वाली लिवर टॉक्सिसिटी से बचाव में मदद कर सकते हैं (2)। इतना ही नहीं, हल्दी में मौजूद हेपाटोप्रोटेक्टिव गुण लिवर से जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं (1)। फिलहाल, इस बारे में अभी और शोध की आवश्यकता है।

मधुमेह के लिए हल्दी के फायदे

हल्दी का सेवन मधुमेह के जोखिम को भी कम करने में सहायक हो सकता है। दरअसल, एक शोध में प्रीडायबिटिक आबादी पर 9 महीने तक करक्यूमिन (Curcumin – हल्दी का महत्वपूर्ण घटक) का उपयोग लाभकारी साबित हुआ। इसका उपयोग डायबिटीज के जोखिम को कम करता पाया गया। इसके अलावा, करक्यूमिन का एंटी-डायबिटिक गुण मधुमेह में होने वाली किसी प्रकार की जटिलता के जोखिम को भी कम करने में सहायक हो

सकता है। ऐसे में अध्ययनों के अनुसार, 12 ग्राम तक करक्यूमिन का सेवन सुरक्षित है। हालांकि, बेहतर है इस बारे में डॉक्टर परामर्श भी ली जाए, क्योंकि डायबिटीज में हल्दी के सेवन और उसकी मात्रा से संबंधित और जांच की आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ हो, उसके लिए रोग-प्रतिरोधक क्षमता का सही होना आवश्यक है। यहां हल्दी मददगार हो सकती है। दरअसल, हल्दी का महत्वपूर्ण घटक करक्यूमिन एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होने के साथ-साथ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट (Immunomodulatory Agent – रोग-प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करना) की तरह भी काम कर सकता है। यह टी व बी सेल्स (श्वेत रक्त कोशिकाएं) जैसे विभिन्न इम्यून सेल्स की कार्यप्रणाली को बेहतर करने में भी मदद कर सकता है। जिससे शरीर कई तरह की बीमारियों जैसे – एलर्जी, अस्थमा, मधुमेह और हृदय रोग से लड़ सकता है।

हल्दी का उपयोग कैंसर के जोखिम से भी बचाव करने में सहायक हो सकता है। कुछ अध्ययनों से यह बात सामने आई कि करक्यूमिन ट्यूमर सेल्स को कम करने या उसके प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है। इसमें एंटीनियोप्लास्टिक (Antineoplastic Properties – ट्यूमर से बचाव का गुण) गुण मौजूद होते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटी कैंसर गुण भी मौजूद होता है, जो प्रोस्टेट, स्तन, और लंग्स कैंसर के जोखिम से बचाव में मदद कर सकता है। ध्यान रहे, अगर किसी को कैंसर है तो उस व्यक्ति के लिए डॉक्टर इलाज ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

सही वक्त पर अगर बढ़ते वजन पर ध्यान न दिया जाए तो मोटापे की समस्या हो सकती है। यहां हल्दी के लाभ देखे जा सकते हैं। इससे जुड़े एक शोध में मेटाबोलिक सिंड्रोम (Metabolic Syndrome – ऐसी स्थितियां जो हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह के खतरे को बढ़ाती हैं) की समस्या से ग्रसित लोगों में करक्यूमिन का सेवन करने से बॉडी मास इंडेक्स (BMI), कमर की चौड़ाई (Waist Circumference) और वजन में कमी पाई गई। इसके अलावा, एक अन्य शोध के मुताबिक अधिक वजन वाले व्यक्तियों में करक्यूमिन सकारात्मक तौर पर काम कर वजन को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। हालांकि, वजन कम करने के लिए सिर्फ हल्दी का सेवन नहीं, बल्कि साथ-साथ व्यायाम और डाइट में बदलाव करना भी आवश्यक है।

हल्दी के गुण की बात करें तो सूजन की समस्या के लिए भी हल्दी लाभकारी हो सकती है। मनुष्यों पर किए गए शोध में हल्दी का उपयोग सुरक्षित पाया गया। इसके साथ ही करक्यूमिन में एंटीइन्फ्लेमेटरी गुण की भी पुष्टि हुई, जो कि सूजन की समस्या से बचाव करने में सहायक हो सकता है। सूजन कई बीमारियों जैसे – अर्थराइटिस, अस्थमा, कैंसर और अल्जाइमर (भूलने की बीमारी) का कारण बन सकता है। ऐसे में हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम कर सूजन की परेशानी को कम करने में सहायक हो सकती है।

हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से मुक्त रखने और आयरन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है। हल्दी पाउडर के साथ-साथ इसके तेल में भी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। वहीं, चूहों पर की गई एक स्टडी के अनुसार, हल्दी डायबिटीज के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकने में सक्षम है। एक अन्य अध्ययन में दावा किया गया है कि करक्यूमिन में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट गुण मनुष्यों की स्मरण शक्ति को बढ़ा सकता है।

हल्दी का उपयोग हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है। हल्दी का सबसे महत्वपूर्ण घटक करक्यूमिन में कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण मौजूद होते हैं, जिस कारण इसके उपयोग से हृदय रोग के जोखिम से बचाव हो सकता है। यह बात जानवरों और मनुष्यों पर किए गए कई अध्ययनों में सामने आई है। इसके साथ ही एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि बाईपास सर्जरी (हृदय से जुड़ा ऑपरेशन) के मरीजों में करक्यूमिन के सेवन से दिल के दौरों का खतरा कम हो सकता है। ऐसे में हल्दी का सेवन हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।

हल्दी का सेवन चिंता और अवसाद की स्थिति में प्रभावकारी हो सकता है। दरअसल, हल्दी में एंटी एंजायटी (Anti-Anxiety) गुण मौजूद होते हैं, जो चिंता की स्थिति में असरदार हो सकता है। इसके अलावा, एक अध्ययन के अनुसार यह माना गया कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिनोइड (Curcuminoid) घटक का एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। फिलहाल, इस बारे में अभी और शोध की आवश्यकता है।

कई महिलाओं को मासिक धर्म के समय अधिक दर्द व पेट में ऐंठन का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान में हुए एक शोध के अनुसार, करक्यूमिन में एंटीइन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो मासिक धर्म से पहले पीएमएस के लक्षणों को कम कर सकता है। मासिक धर्म के दौरान हल्दी दूध का सेवन फायदेमंद हो सकता है।

पाचन के लिए हल्दी का उपयोग

पाचन संबंधी समस्या (जैसे – गैस और अपच) कभी भी और किसी को भी हो सकती है। ऐसे में हल्दी का उपयोग न सिर्फ गैस और पेट फूलने की परेशानी से राहत दिला सकता है, बल्कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (Irritable Bowel Syndrome – आंत संबंधी समस्या) और पाचन संबंधी समस्याओं से भी राहत दिलाने में सहायक हो सकता है। इतना ही नहीं करक्यूमिन में मौजूद एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण अल्सर के जोखिम को भी कम करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए, पेट और पाचन को सही रखने के लिए खाने में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है।

अल्जाइमर, जो कि एक मस्तिष्क संबंधी समस्या है, जिसमें व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। इसके कारण अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन बढ़ती उम्र इस बीमारी का एक जोखिम कारक हो सकता है। ऐसे में अल्जाइमर के जोखिम को कम करने के लिए हल्दी सहायक हो सकती है। एनसीबीआई (NCBI) की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार, अल्जाइमर मरीजों में हल्दी का उपयोग उनकी जीवनशैली में सुधार लाने में सहायक पाया गया। वहीं, करक्यूमिन का एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण अल्जाइमर की स्थिति में सुधार करने में सहायक हो सकता है। हालांकि, इस विषय में अभी और अध्ययन की आवश्यकता है।

हल्दी का सेवन चिंता और अवसाद की स्थिति में प्रभावकारी हो सकता है। दरअसल, हल्दी में एंटी एंजायटी (Anti-Anxiety) गुण मौजूद होते हैं, जो चिंता की स्थिति में असरदार हो सकता है। इसके अलावा, एक अध्ययन के अनुसार यह माना गया कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिनोइड (Curcuminoid) घटक का एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। फिलहाल, इस बारे में अभी और शोध की आवश्यकता है।

हल्दी का उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि गठिया का एक प्रकार है, उसमें लाभकारी हो सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार 139 लोग जिनमें घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण थे, उन्हें एक महीने के लिए हर दिन तीन बार 500 मिलीग्राम करक्यूमिन का सेवन कराया गया। जिसके बाद मरीजों में गठिया के लक्षण में काफी राहत देखी गई। दरअसल, हल्दी में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जिससे गठिया के लक्षणों से आराम मिल सकता है। हालांकि, यह शोध कम स्तर और बस एक महीने के लिए किया गया है, इसलिए इस बारे में अभी और शोध की आवश्यकता है।

गठिया के लिए हल्दी के लाभ

हल्दी का उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि गठिया का एक प्रकार है, उसमें लाभकारी हो सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार 139 लोग जिनमें घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण थे, उन्हें एक महीने के लिए हर दिन तीन बार 500 मिलीग्राम करक्यूमिन का सेवन कराया गया। जिसके बाद मरीजों में गठिया के लक्षण में काफी राहत देखी गई। दरअसल, हल्दी में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जिससे गठिया के लक्षणों से आराम मिल सकता है। हालांकि, यह शोध कम स्तर और बस एक महीने के लिए किया गया है, इसलिए इस बारे में अभी और शोध की आवश्यकता है।

हल्दी का उपयोग कई सालों से हल्की-फुल्की चोट या घावों को भरने के लिए किया जाता रहा है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, घाव को भरने और एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं, जो घाव भरने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि, ध्यान रहे कि हल्दी का उपयोग सामान्य चोट या घाव के लिए ही किया जाए, अगर घाव गंभीर है तो डॉक्टर चिकित्सा को ही प्राथमिकता दें।

कई लोग हल्दी का उपयोग खांसी या सर्दी-जुकाम के लिए कई सालों से औषधि की तरह करते आ रहे हैं, क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है। गर्म दूध में हल्दी पाउडर डालकर सेवन करने से खांसी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। इतना ही नहीं हल्दी में मौजूद एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण इसका सेवन ब्रॉन्काइटिस अस्थमा के लिए भी असरदार हो सकता है। ध्यान रहे, अगर खांसी कई दिनों से है तो बेहतर है कि एक बार डॉक्टर परामर्श भी जरूर लें।

सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि हल्दी के फायदे स्किन के लिए भी अनेक हैं। त्वचा संबंधी विकारों का उपचार करने में भी हल्दी के फायदे देखे जा सकते हैं। हल्दी लगाने के फायदे न सिर्फ त्वचा को स्वस्थ रखने, बल्कि सोरायसिस जैसी त्वचा संबंधी समस्या के लिए असरदार हो सकते हैं। सोरायसिस में त्वचा पर पपड़ी जमने लगती है और साथ ही लाल चकत्तों के साथ खुजली की समस्या भी हो सकती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीइन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिस कारण यह सोरायसिस के कारण त्वचा पर हुए जख्मों को जल्द भरने में मददगार साबित हो सकती है।



प्रदूषण फैलाओ संरक्षित करो मंडल

अधि नियमों के उल्लंघन से प्रदूषित मंडल

अधिकांश क्षेत्रीय अधिकारी व वैज्ञानिक वसूली में उद्योगों, कॉलोनीयों, खदानों, सेवा केंद्रों विश्वास रखते हैं

जल व वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिये और पूर्वोक्त प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से बोर्डों की स्थापना के लिये, उनसे सम्बन्धित शक्तियाँ और कृत्य ऐसे बोर्डों को, प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिये और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम जून, 1972 में स्टाकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, यह विनिश्चय किया गया कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिये, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वायु जल की गुणवत्ता बनाए रखना और उसके प्रदूषण पर नियंत्रण रखना सम्मिलित है, समुचित कदम उठाए जाएँ; यह आवश्यक समझा गया कि उक्त विनिश्चयों को, जहाँ तक कि उनका सम्बन्ध जल व वायु की गुणवत्ता बनाए रखने और उसके प्रदूषण पर नियंत्रण रखने से है; कार्यान्वित किया जाये; यह मैंने उपरोक्त आधारभूत दोनों अधिनियमों की व्याख्या छपी हैं जिनका मूल उद्देश्य जनता को समझ में आना चाहिए क्योंकि वह भी पृथ्वी पर मानव जीवन के साथ सभी जैविक जीवन वनस्पतियों और पर्यावरण के लिए आवश्यक जल वायु के संरक्षण के साथ होने या फैलने वाले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है।

परंतु पूरा प्रदूषण नियंत्रण मंडल में आपने देखा इस अधि. 1981 की धारा पांच के राज्य बोर्ड के गठन में च के बिंदु में स्पष्ट है कि सदस्य सचिव जिसके पास प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक इंजीनियर या प्रबंधन संबंधी पहलुओं की ऐसी हर्ताएं ज्ञान और अनुभव हैं जो भेद किया जाए और उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। के विपरीत इस मलाई वाले पद का पूरा आनंद लेने के लिए भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों ने अपने आप कोई सप्रदूषण नियंत्रण मंडल का स्थाई अध्यक्ष और सदस्य सचिव घोषित कर रखा है।

नियम और कानूनों को ताक पर रख यह भारती बताना सेवा के अधिकारी अपने आप कोदेश का असली खुद समझते हैं

और मूल कानूनों का उल्लंघन कर कहीं भी कानून की तोड़फोड़ की व्याख्या कर गजट नोटिफिकेशन करवा कर इस मंडल में भी अध्यक्ष और सदस्य सचिवके रूप में गुलशन बामरा बैठा हुआ है। पूरे प्रदेश के सभी उद्योगों, सेवा केंद्रों, दुकानों होटलों रेस्टोरेंटों जो कि जल और वायु का प्रयोग कर उसका अन्य रूप में उत्सर्जन करते हैं। के बाहर दरवाजे पर ही उसका पूरा विवरण लिखा जाना चाहिए। 15 वर्ष पहले तक ऐसे सारे सूचना पटेल हर उद्योग व व्यवसायिक स्थलों के बाहर कानून की आवश्यकता के अनुसार लगाई जाती थी ताकि आम साधारण आदमी और सूचना पटेल के अध्ययन से निष्कर्ष निकाल सके की अंदर क्या औद्योगिक व्यवसायिक गतिविधि संचालित होती है और किसी भी आपदा की स्थिति में क्या-क्या संभावित है और उसे सुरक्षा के उपाय क्या होते हैं परंतु अधिकांश समय वर्तमान में अध्यक्ष, व सभी 7 सचिव में अधिकांश भारतीय प्रशासनिक सेवा केवे अधिकारी हैं जिन्हें प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं एकमात्र सदस्य जो औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवाएं इंदौर होता है वह भी औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा की निगरानी करता है ना कि प्रदूषण की और ना ही वह प्रदूषण का विशेषज्ञ होता है बेशक फैंक्ट्री अधिनियम 1948 में मात्र वायु प्रदूषण पर जो धूम्र घातक उत्सर्जित वायु से केवल कारखाना में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा को निश्चित करती है। कार्यरत है। और सदस्य सचिव के रूप में भीजो जल उत्सर्जन से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ नहीं होता भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी पदस्थ कर दिया गया है स्वाभाविक है उसे उनसे मतलब नहीं उसे अपनी मोटी कमाई से मतलब है। बेशक सारी प्रसाद की नियंत्रण व्यवस्था उसी के हाथ में होती है और वह अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार प्रदेश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने पसंद के अधिकारी बैठाता है।

पूरे प्रदूषण नियंत्रण मंडल में भ्रष्टाचार का बोलबाला तो है ही इन्होंने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को बचाने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी को ही सूचना के



अधिकार में उसका अपना अपीलेंट ऑफिसर बना रखा है। इसलिए यह हरामखोर सारे भ्रष्टाचार जालसाजियां करें। अभी तक सूचना का अधिकार नहीं उनके संबंध में फैलने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में प्रयोगशाला की रिपोर्ट के संबंध में अगर कोई जानकारी मांगता है। तो पीथमपुर का क्षेत्रीय अधिकारी एमके मंडराई सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर पीथमपुर में बैठा यह हरामखोर जानकारी भी नहीं देता फोन भी नहीं उठाता और अब चुकी इसकी अपील भी यही सुनेगा तो आप समझ सकते हैं, की यह क्या करेगा, अपील को किसी भी कारण से निरस्त कर देगा या सुनेगा ही नहीं द्वितीय अपील भोपाल जाएगी जो तीन-चार साल तक लंबित रहेगी और वह इस प्रकार से हर क्षेत्रीय अधिकारी अपनी भ्रष्टाचार को बचाने में स्वतंत्र सक्षम रहता है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में क्या चल रहा है?

चारों तरफ के गांव वाले अनेकों फैंक्ट्री से निकलने वाले जल प्रदूषण के कारण उनकी जमीन में बर्बाद हो चुकी है जिसकी कोई सुनवाई न केवल क्षेत्रीय अधिकारी वर्णनधार का जिला कलेक्टर भी नहीं सुनता। क्षेत्रीय अधिकारी मंडराई व न केवल प्रदेश का नियंत्रण मंडल रेमकी द्वारा बनाए भस्मक में निर्माण 2006 का समय क्या घोषणा की गई थी और वह क्या कर रहा है के बारे में न केवल प्रदेश के वरन देश के केंद्रीय प्रदूषण जनता

मंडल को भी देखना चाहिए उसके पास न केवल मध्य प्रदेश का वरन राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र का भी घातक औद्योगिक रासायनिक कचरा नष्ट करने के लिए लाया जाता है। जिसकी वह भारी कीमत वसूलता है। परंतु उस रेम की का भस्मक संयंत्र उसे कचरे का करता क्या है? क्योंकि उसके पास जो भट्टियां लगाई जानी थी। क्या वह डीपीआर में बताये अनुसार लगाई गई है। उसमें जो बिजली खर्च होनी थी। क्या वह हो रही है? और अवशिष्ट कचरे को जलाकर नष्ट करके दफनाया जा रहा है। या वैसे ही इकट्ठा करके रखा जा रहा है। क्योंकि वह प्लांट जो पहाड़ी पर लगा है। बरसाती पानी अवशिष्टों के कचरे से पानी बहकर एक तरफ नर्मदा को दूषित करता है, तो दूसरी तरफ चंबल को जो बाद में जाकर गंगा में मिल जाता है। आखिर मंडल के इस क्षेत्रीय अधिकारी ने अंदर जाकर कभी उस संयंत्र का निरीक्षण किया? निरीक्षण रिपोर्ट बनाई। क्या उसके बारे में राज्य सरकार को सूचित किया। से लेकर यह जिम्मेदारी बोर्ड के सदस्यों की भी थी की वह जाकर एकमात्र पीथमपुर के वसमत प्लांट का निरीक्षण करते जहां परयूनियन कार्रवाई की मिथाइल आइसोसायनाइड के टोस अपशिष्ट गैस को भी संग्रहित किया गया है। जिसने अकेले भोपाल में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में आलोक जैन, ग्वालियर में आर आर सिंह सेंगर, भोपाल में बृजेश शर्मा, रीवा में डा. शंभू दयाल वाल्मीकि सतना में डा. पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला, सागर में कप सोनी शहडोल में संजीव मेहरा, सिंगरौली में मुकेश श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा में के एन कटारे, मंडीदीप में अभय सराफ, विजयपुर गुना में डी वी एस जाटव, कटनी में सतना के डॉ. पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला करत है। और सभी ईट भट्टा, सभी प्रकार की कीमती हीरे से लेकर मिट्टी गिट्टी पत्थर चूने कोयले की खदानें, सभी कॉलोनीयों, सभी नगर निगम पालिकाएं परिषद पंचायतें सभी प्रकार के वायु व जल उपयोग व उत्सर्जन करने वाले उद्योग फैंक्ट्रियां कारखाने व्यवसायिक संस्थाओं से नियमों की आड़ में वसूली भी करते हैं। यही कारण है कि यह हरामखोर ना तो

अपनी जानकारियां निरीक्षण रिपोर्ट फैंक्ट्रीयों से निकले हुए जल और वायु प्रदूषण के नमूनों की जांच रिपोर्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत साइटों पर चढ़ाया जाता है। प्रदेश भर में गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश उड़ीसा छत्तीसगढ़ दक्षिणी प्रदेशों आदि से लाखों लीटर खराब उपयोग किया हुआ तेजाब व अन्य तरल रसायन ट्रकों में लाकर यहां के सूखे व बहते हुए नदियों, नालों, नगरों की सीवर स्टार्म वाटर लाइनों में हजार से ज्यादा टैंकर विभिन्न आंतरिक मार्गों से आकर बहाते हैं। वही प्रदूषित जल उन लाइनों से फुटकर फूटी हुई जंग लगी पेयजल आपूर्ति की लाइनों से मानव स्वास्थ्य को बर्बाद करने में लगी है सारे क्षेत्रीय अधिकारी इन सब बातों को जानते हैं और महीना वसूलकर ऐसे टांका को आंख बच कर खुली छूट देकर वसूली करते रहते हैं। बेशक इसमें पुलिस का भी हिस्सा होता है। आखिर इन कारगुजारियों पर रोक व नियंत्रण की जिम्मेदारी ना केवल प्रदूषण मंडल पुलिस व जिलाधीश कार्यालयों की भी है। पर यह खेल वर्षों से मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है और अधिकांश नदी नालों के बहते पानी में उठने वाले झागों में यह इसी गंदे उपयोग किये तेजाब व रसायनों के बहाने के कारण होता है। इसके संबंध में बहुत सारे जालसाजियों, भ्रष्टाचार, वसूली के प्रकरण प्रकरण निगम में है उनकी चर्चा बाद में की जाएगी लेख लंबा हो चुका है। जहां तक राष्ट्रीय हरित अधिकरण का सवाल है तो उसमें तो बोर्ड के मंबर के साथ में कलेक्टर भी शामिल होता है जो स्वयंभू कॉलोनी माफिया का संरक्षण दाता और संरक्षक होता है। तो उसके नगर निगम परिषदों पालिकाओं पंचायतों की नदी नालों के जल संग्रहण व बहाव क्षेत्र की, चरनोई, नजूल की भूमि को हथियाने, कब्जा करने, आसपास के वृक्षों वनों हरियाली को नष्ट करने के कोई कांड नहीं दिखते अकेले इंदौर में 30% आबादी कान्हा सरस्वती खान नदी व उसके जल संग्रहण करने वाले नालों बहाव क्षेत्र में अवैध कब्जों पर बसी हुई है। वह एनजीटी को भी नहीं दिखती। आखिर क्या देकर जाएंगे आने वाली पीढ़ी को कांक्रिट जंगल में दम घोंटती प्राण वायु।





यह मैंने उपरोक्त आधारभूत दोनों अधिनियमों की व्याख्या छपी हैं जिनका मूल उद्देश्य जनता को समझ में आना चाहिए क्योंकि वह भी पृथ्वी पर मानव जीवन के साथ सभी जैविक जीवन वनस्पतियों और पर्यावरण के लिए आवश्यक जल वायु के संरक्षण के साथ होने या फैलने वाले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है।

परंतु पूरा प्रदूषण नियंत्रण मंडल में आपने देखा इस अधि. 1981 की धारा पांच के राज्य बोर्ड के गठन में च के बिंदु में स्पष्ट है कि सदस्य सचिव जिसके पास प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक इंजीनियर या प्रबंधन संबंधी पहलुओं की ऐसी हर्ताएं ज्ञान और अनुभव हैं जो भेद किया जाए और उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। के विपरीत इस मलाई वाले पद का पूरा आनंद लेने के लिए भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों ने अपने आप को इस प्रदूषण नियंत्रण मंडल का स्थाई अध्यक्ष और सदस्य सचिव घोषित कर रखा है।

नियम और कानूनों को ताक पर रख यह भारती बताना सेवा के अधिकारी अपने आप को देश का असली खुद समझते हैं और मूल कानूनों का उल्लंघन कर कहीं भी कानून की तोड़फोड़ की व्याख्या कर गजट नोटिफिकेशन करवा कर इस मंडल में भी अध्यक्ष और सदस्य सचिवके रूप में गुलशन बामरा बैठा हुआ है। पूरे प्रदेश के सभी उद्योगों, सेवा केंद्रों, दुकानों होटलों रेस्टोरेंटों जो कि जल और वायु का प्रयोग कर उसका अन्य रूप में उत्सर्जन करते हैं। के बाहर दरवाजे पर ही उसका पूरा विवरण लिखा जाना चाहिए। 15 वर्ष पहले तक ऐसे सारे सूचना पटलहर उद्योगव्यवसायिक स्थलों के बाहर कानून की आवश्यकता के अनुसार लगाई जाती थी ताकि आम साधारण आदमी और सूचना पटल के अध्ययन से निष्कर्ष निकाल सके की अंदर क्या औद्योगिक व्यवसायिक

उसी के हाथ में होती है और वह अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार प्रदेश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने पसंद के अधिकारी बैठाता है।

पूरे प्रदूषण नियंत्रण मंडल में भ्रष्टाचार का बोलबाला तो है ही इन्होंने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को बचाने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी को ही सूचना के अधिकार में उसका अपना अपीलेंट ऑफिसर बना रखा है। इसलिए यह हरामखोर सारे भ्रष्टाचार जालसाजियां करें।

अभी तक सूचना का अधिकार नहीं उनके संबंध में फैलने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में प्रयोगशाला की रिपोर्ट के संबंध में अगर कोई जानकारी मांगता है। तो पीथमपुर का क्षेत्रीय अधिकारी एमके मंडराई सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर पीथमपुर में बैठा यह हरामखोर जानकारी भी नहीं देता फोन भी नहीं उठाता और अब चुकी इसकी अपील भी यही सुनेगा तो आप समझ सकते हैं, की यह क्या करेगा, अपील को किसी भी कारण से निरस्त कर देगा या सुनेगा ही नहीं द्वितीय अपील भोपाल जाएगी जो तीन-चार साल तक लंबित रहेगी और वह इस



सेवाएं इंदौर होता है वह भी औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा की निगरानी करता है ना कि प्रदूषण की और ना ही वह प्रदूषण का विशेषज्ञ होता है बेशक फैंक्ट्री अधिनियम 1948 में मात्र वायु प्रदूषण पर जो धूम्र घातक उत्सर्जित वायु से केवल कारखाना में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा को निश्चित करती है। कार्यरत है। और सदस्य सचिव के रूप में भीजो जल उत्सर्जन से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ नहीं होता भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी पदस्थ कर दिया गया है स्वाभाविक है उसे उनसे मतलब नहीं उसे अपनी मोटी कमाई से मतलब है। बेशक सारी प्रसाद की नियंत्रण व्यवस्था

प्रकार सेहर क्षेत्रीय अधिकारी अपनी भ्रष्टाचार को बचाने में स्वतंत्र सक्षम रहता है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में क्या चल रहा है?

चारों तरफ के गांव वाले अनेकों फैंक्ट्री से निकलने वाले जल प्रदूषण के कारण उनकी जमीन में बर्बाद हो चुकी है जिसकी कोई सुनवाई न केवल क्षेत्रीय? अधिकारी वर्णनधार का जिला कलेक्टर भी नहीं सुनता। कभी क्षेत्र मंडराई व न केवल प्रदेश का नियंत्रण मंडल रेमकी द्वारा बनाए भस्मक में निर्माण 2006 का समय क्या घोषणा की गई थी और वह क्या कर रहा



हैं के बारे में न केवल प्रदेश के वरन देश के केंद्रीय प्रदूषण जनता मंडल को भी देखना चाहिए उसके पास न केवल मध्य प्रदेश का वरन राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र का भी घातक औद्योगिक रासायनिक कचरा नष्ट करने के लिए लाया जाता है। जिसकी वह भारी कीमत वसूलता है। परंतु उस रेमकी का भस्मक संयंत्र उसे कचरे

सिंह बुंदेला करत है। और सभी ईट भट्टा, सभी प्रकार की कीमती हीरे से लेकर मिट्टी गिट्टी पत्थर चूने कोयले की खदानें, सभी कालोनियां, सभी नगर निगम पालिकाएं परिषद पंचायतों सभी प्रकार के वायु व जल उपयोग व उत्सर्जन करने वाले उद्योग फैंक्ट्रियां कारखाने व्यवसायिक संस्थाओं से नियमों की आड़ में वसूली भी करते हैं। यही कारण है कि यह हरामखोर ना तो अपनी जानकारी निरीक्षण रिपोर्ट फैंक्ट्रीयों से निकले हुए जल और वायु प्रदूषण के नमूनों की जांच रिपोर्ट अनापति प्रमाण पत्र आदि को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत साइटों पर चढ़ाया जाता है।

प्रदेश भर में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी प्रदेशों आदि से लाखों लीटर खराब उपयोग किया हुआ तेजाब व अन्य तरल रसायन ट्रकों में लाकर यहां के सूखे व बहते हुए नदियों, नालों, नगरों की सीवर स्टाम वाटर लाइनों में हजार से ज्यादा टैंकर विभिन्न आंतरिक मार्गों से आकर बहाते हैं। वही प्रदूषित जल उन लाइनों से फुटकर फूटी हुई जंग लगी पेयजल आपूर्ति की लाइनों से मानव स्वास्थ्य को बर्बाद करने में लगी है सारे क्षेत्रीय अधिकारी इन सब बातों को जानते हैं और महीना वसूलकर ऐसे टांका को आंख बच कर खुली छूट देकर वसूली करते रहते हैं। बेशक इसमें पुलिस का भी हिस्सा होता है। आखिर इन कारगुजारियों पर रोक व नियंत्रण की जिम्मेदारी ना केवल प्रदूषण मंडल पुलिस व जिलाधीश कार्यालयों की भी है। पर यह खेल वर्षों से मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है और अधिकांश नदी नालों के बहते पानी में उठने वाले झागों में यह इसी गंदे उपयोग किये तेजाब व रसायनों के बहाने के कारण होता है।

इसके संबंध में बहुत सारे जालसाजियों, भ्रष्टाचार, वसूली के प्रकरण प्रकरण निगाह में है उनकी चर्चा बाद में की जाएगी लेख लंबा हो चुका है। जहां तक राष्ट्रीय हरित अधिकरण का सवाल है तो उसमें तो बोर्ड के मंबर के साथ में कलेक्टर भी शामिल होता है जो स्वयंभू कॉलोनी माफिया का संरक्षण दाता और संरक्षक होता है। तो उसके नगर निगम परिषदों पालिकाओं पंचायतों की नदी नालों के जल संग्रहण व बहाव क्षेत्र की, चरनोई, नजूल की भूमि को हथियाने, कब्जा करने, आसपास के वृक्षों वनों हरियाली को नष्ट करने के कोई कांड नहीं दिखते अकेले इंदौर में 30% आबादी कान्हा सरस्वती खान नदी व उसके जल संग्रहण करने वाले नालों बहाव क्षेत्र में अवैध कब्जों पर बसी हुई है। वह एनजीटी को भी नहीं दिखती। आखिर क्या देकर जाएंगे आने वाली पीढ़ी को कांक्रिट जंगल में दम घंटती प्राण वायु।



मोहन कठपुतली... सारे निर्णय दिल्ली से

पेज 1 का शेष

हजम करने की तैयारी निर्माण के नाम पर चल रही है बेशक ऐसे अधिकांश निर्माण में गुजराती ठेकेदारों का बोलबाला रहा और वह हरामखोर अपने आका की तरह यहाँ पर भी जल साजियाइस तरह काम ठेके में उप ठेके बांट कर आजमगढ़ यहाँ के छोटे ठेकेदारों को जिन्हें छोटे-छोटे काम के ठेके दिए जाते हैं उनसे करवा कर उन्हें बिना भुगतान किया गुजरात भागते रहे हैं। यह पीड़ा प्रदेश केहर निर्माण विभाग की राही ठेकों को दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से भी टेलीफोन आ जाते हैं। अब जबपूरी सरकार ही दिल्ली से चलाई जाएगी तो आप समझ सकते हैं। की किस प्रकार प्रदेश का वित्त प्रबंधन बिना नियमों, कायदों, आवश्यकता के भी खर्च और लूटे जाएंगे। जो 4लाख करोड़ का कर्ज प्रदेश सरकार पर है उसका प्रति माह 4000 करोड़ रुपए का ब्याज ही होता है। जिसको भी हर महीने सरकार को जनता को लूट कर ही चुकाना है।

इनके ढीले वित्त प्रबंधन के कारण ही लगातार राजस्व आय बढ़ने के बाद में भी उल्टे सीधे अनावश्यक खर्चों के कारण ही प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था केवलभारी कर्ज में बल्कि घाटे में भी चल रही है। स्वाभाविक है राजस्व विभाग का प्रबंधन किसी समझदार सुलझे हुए व्यक्ति को दिए जाना चाहिए था क्योंकि जगदीश देवड़ा का वित्त प्रबंधन का 3 साल का अनुभव जनता देश दुनिया के सामने है। जिसने प्रदेश को आर्थिक कंगाली की तरफ धकेल दिया है। नए मुख्यमंत्री आने के बाद यह उम्मीद की जा सकती है की पुराने मुख्यमंत्री ने जो गलतियाँ की, उनको सुधारा जाए प्रदेश के सारे 40 से ज्यादा नाके न केवल पुनः खोले जाकर सारे माल वाहकों की जांच प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में ही करके ही प्रदेश में प्रवेश दिया जाना चाहिए। ताकि कर चोरी रोकी जा सके। साथ ही सारे के सारे वाणिज्य कर विभाग के 2 साल से बंद पड़े प्रदेश के 6 एंटी इवैजन ब्यूरो को पुणे धारा 67, 68 एवं 71 में माल वाहकों की सड़कों पर व व्यापारियों उद्योगों के गोदामों की सेवा प्रदाताओं के खातों की जांच करने के अधिकार दिए जाने चाहिए। ताकि 20 से 30% कर आय को बढ़ाया जा सके। बेशकपूरे देश में बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल लेकर गांव की किराना दुकानों तक अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, विदेशी कंपनियों आईटीसी युनिलीवर बालमार्ट, अमेजॉन, चीन आदि का ही माल बिक रहा है। जिनसे ऊपर ही दिल्ली स्तर पर मोटी वसूली और छूट का लाभ रंगा बिल्ला गिरोह कर लेता है। इसलिए नाखून को खोलने की व्यवस्था तो शायद लंबित ही रहेगी पर वित्त

विभाग में बैठी और राजस्व आय की प्रधान सचिव दीपाली रस्तोगी जो पिछले 6 सालों से कुंडली मार बैठकर प्रदेश की आय को वाणिज्य कर विभाग में एंटी इवैजन ब्यूरो को मालवाहकों की जांच वा पकड़ने की शक्तियाँ प्रदान न कर विभाग को हीकमजोर करने पर तुली है कुछ अकाल हटाया जाना चाहिए दूसरी तरफ पंजीयन विभाग मेंअकेले इंदौर में ही तेरह उप पंजीयक जो वर्षों से इंदौर में कुंडली मारे बैठे हुए हैंस्थानांतरित नहीं किए गए जहाँ तक घोर भ्रष्ट जालसाज बीके मोरे जो वरिष्ठ जिला पंजीयन था। पहले लूट और वसूली के दम पर इंदौर में 6 साल तक डटा रहा। बाद में उसकी इस लूट वसूली से खुश होकर उसे इंदौर से बाहर भेजने की अपेक्षा इंदौर संभाग का ही उप पंजीयक बना 15 जिले उसके नियंत्रण में दे दिए गए। तेरा ओपन बीएफजो पिछले 10 सालों से इंदौर के ही उप पंजीयन कार्यालय में दान्ये बांये होकर डटे हुए हैं। हर स्थाई संपत्ति भूमि भवन प्लॉट दुकान मकान फ्लैट की खरीद बिक्री पर 1% ऊपर से वसूली करने के साथ यदि मामला पेचीदा उलझा हुआ है। तो यह लूट 10, 20, 30% तक हो सकती है। और इसी लूट के हिस्से में सेजिला पंजीयक उप पंजीयकपंजीयन प्रदेश सरकार से लेकरप्रधान सचिववित्त मंत्री और मुख्यमंत्री तक हिस्सा पहुंचने के कारणवर्षों से कुंडली मारे यह घर थाक्योंकि जगदीश देवड़ा का वित्त प्रबंधन का 3 साल का अनुभव जनता देश दुनिया के सामने है। जिसने प्रदेश को आर्थिक कंगाली की तरफ धकेल दिया है। नए मुख्यमंत्री आने के बाद यह उम्मीद की जा सकती है की पुराने मुख्यमंत्री ने जो गलतियाँ की, उनको सुधारा जाए प्रदेश के सारे 40 से ज्यादा नाके न केवल पुनः खोले जाकर सारे माल वाहकों की जांच प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में ही करके ही प्रदेश में प्रवेश दिया जाना चाहिए। ताकि कर चोरी रोकी जा सके। साथ ही सारे के सारे वाणिज्य कर विभाग के 2 साल से बंद पड़े प्रदेश के 6 एंटी इवैजन ब्यूरो को पुणे धारा 67, 68 एवं 71 में माल वाहकों की सड़कों पर व व्यापारियों उद्योगों के गोदामों की सेवा प्रदाताओं के खातों की जांच करने के अधिकार दिए जाने चाहिए। ताकि 20 से 30% कर आय को बढ़ाया जा सके। बेशकपूरे देश में बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल लेकर गांव की किराना दुकानों तक अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, विदेशी कंपनियों आईटीसी युनिलीवर बालमार्ट, अमेजॉन, चीन आदि का ही माल बिक रहा है। जिनसे ऊपर ही दिल्ली स्तर पर मोटी वसूली और छूट का लाभ रंगा बिल्ला गिरोह कर लेता है। इसलिए नाखून को खोलने की व्यवस्था तो शायद लंबित ही रहेगी पर वित्त

शराब 2022-23 में रु.13005 करोड़ मिली है।

इस विभाग में जालसाजी व भ्रष्टाचार का बोलबाला तो है, ही। यही कारण है पूरे मध्यप्रदेश के पूरे आबकारी विभाग में हर निरीक्षक उप, सहायक निरीक्षक से लेकर सिपाही बाबू चापरासी से जिलाधिकारी सहायक आयुक्त उपायुक्त, आयुक्त तक नशे के अतिरिक्त धन के नशे की ठसक में रहते हैं। इसलिए सूचना के अधिकार के आवेदकों से कर्मचारियों से लेकरजिला अधिकारियों तक बड़े बदतमीजी व हेय व्यवहार करते हैं।

जब सारा कार्य कंप्यूटर पर हो रहा है तो सारी जानकारी 25 बिंदुओं के विस्तृत विवरण साइट पर अपलोड क्यों नहीं किये जाते। आवेदन में स्पष्ट लिखने पर अधिनियम की धारा 2 (j)iv में मांगने पर भी सीडी कंपैक्ट डिस्क में क्यों नहीं दी जाती?

ठेकों के आबंटन से लेकर राजस्व वसूली तक मैं खुलकर भ्रष्टाचार होने के कारण प्रदेश के राजस्व आय कमजोर होती है। दूसरी तरफ अधिकांश कर्मचारियों अधिकारियों निरीक्षकों सिपाहियों के मोटी वसूली के लिए आबकारी से जुड़े नशे के कारोबार में अपने-अपने साझेदारी संरक्षण कर्ता के रूप में अपने धंधे हैं। ये भ्रष्ट भी प्रदेश की राजस्व आय को पलीता लगाते हैं। इसलिए सिविल सेवा अधिनियम 1966 के अंतर्गत इन सबको हर 2 -2 साल में स्थानांतरण स्थाई रूप से होते रहना चाहिए। पर यहां तो उल्टा ही भ्रष्टों और जाल साजों को जिसमें देवास का सहायक आयुक्त राजनारायण सोनी, जिसके इंदौर के, उज्जैन का जामोद जिसने धार के प्रकरणों को दर किनार कर भी जिलों के प्रभार दे रखे हैं। वही हाल प्रदेश की 15 से ज्यादा शराब उत्पादक डिस्टिलरियों में जिसमें इंदौर की ही एम पी बियर 2.25 लाख हेक्टो लीटर उत्पादन, केडिया की सिमरोल की माउंट एवरेस्ट बेवरेज, ग्राम मेमड़ी पोस्ट सिमरोल जिला इंदौर का 15लाख हेक्टो लीटर उत्पादन प्रदेश की सबसे बड़ी, मैसेज रीजेंट बीयर्स और वाईस लिमिटेड मक्सी जिला शाजापुर, 10 लाख हेक्टो लीटर, मैसेज जगापिंग बेवरेज लिमिटेड नौगांव जिला छतरपुर 1 लाख हेक्टो लीटर, हिमालयन एल्स प्राइवेट लिमिटेड मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र घिरोंगी जिला भिंड मप्र, सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेज लिमिटेड ग्राम रोजगार चक जिला रायसेन 9.5 लाख हेक्टोलीटर का उत्पादन करती हैं।

घाटा बिल्लोद की ग्रेट न ग्लेन, तृप्ति अल्कब्रेयु, ग्राम महतोली बामोर जिला मुर्ना, प्रदेश की 22 यूनिट बाटलिंग का काम करती हैं यथार्थ में यह उत्पादन भी करती हैं

पर दिखाती केवल बोटलिंग है। अखिल के बिजली के बिल और अंदर आने वाले व बाहर जाने वाले माल की निगरानी के लिए एक उपनिरीक्षक वहां तैनात रहता है पर उसकी हर टुकके आने जाने परपर्याप्त धन मिलता रहता है इसलिए वह भी चुप रहता है और उसका हिस्सा ऊपर तक पहुंच जाता है।

निष्कर्ष है की पुनः जगदीश देवड़ा को उपमुख्यमंत्री बना दिया तो उससे यह उम्मीद करना कि वह प्रदेश की वित्तीय स्थिति को आसानी से नियंत्रित कर प्रदेश की वित्तीय घाटे को कम करने के साथ भविष्य में प्रदेश के संचालन के लिए अलग से कर्ज नहीं लेंगे जबकि आते ही साथ मोहन यादव ने रुपए 2000 करोड़ का कर्ज लिया तो किस प्रकार से प्रदेश की भविष्य की भित्ति व्यवस्था चलाई जाएगी या श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह प्रदेश का बिहार यह घोर भ्रष्ट और जालसाजी कि केंद्र में बैठ मोदी अमित शाह का गुप देश की वित्तीय व्यवस्था की तरह प्रदेश की विभक्ति व्यवस्था को भी अपने गुजरातियों पर खर्च करवा और पुनः गत में ले जाने का काम करेगी। जगदीश देवड़ा का पिछली विधानसभा का कार्यकाल तो यही कहता है और जब सरकार पूरी दिल्ली से चलाई जानी है तो वित्तीय स्थिति के सुधार की उम्मीद करना बेमानी है।

आखिर पुनः तुलसी सिलावट को जल संसाधन मंत्री क्यों बनाया गया...

जल संसाधन के मंत्री के रूप में पुनः तुलसी सिलावट को सौंप दिया गया है? जबकि सिलावट के आने के बाद पूरे विभाग में हजारों करोड़ की जल उद् वहन परियोजनाएं भारी भरकम लागत की डीपीआर पर उद् घाटित हुईं। परंतु अधिकांश योजना में बैठे प्रभारी अधीक्षण यंत्री प्रभारी कार्यपालन यंत्रियों से लेकर उपयंत्रियों तक आवश्यकता का स्टाफ न होने घोर भ्रष्ट निकम्मे व जालसाजों की पदस्थी करने के कारण बड़े-बड़े ठीक है 10 से लेकर 25-30, 40% तक कम की दरों पर निविदायें लेकर भी कछुए की चाल से लागत बढ़ाने, सर्वे डीपीआर बदलने एलाइनमेंट स्ट्रक्चर मशीनरी पंप पाइपलाइन बदलने आदित्य का खेल दिल्ली से खेला जा रहा है ऐसे ही एक परियोजना देवास कीहॉट पिपिलिया जिसे एलएनटी ने 20% से ज्यादा नीची दरों पर लेकर लेकर पुरानी सरकारी सर्वे को नकार नई सर्वे का कार्य कर रहा है। जबकि उसने मशीनरी एडवांस 10% वह कार्यशील पूंजी का 5% अग्रिम ले लिया है परंतु साल भर गुजर जाने के बाद में भी कोई भी ठोस कार्य

सामने नहीं आयाबेशक वहां बैठा घोर निकम्मा, भ्रष्ट जालसाज मूढ़ कार्यपालन यंत्री जादौन सहायक यंत्री चा, गुंजन, सक्सेना, यादव आदि उप यंत्रियों में भी पूरी फौज जिसके पास 41 किलोमीटर लंबी चंद्रकेसर की नहरें, दतुनी की नहरें परपटी बांध व नहरों में करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है यही हाल नर्मदा तापी कछार, चंबल बेतवा कछार, यमुना कछार गंगा माही कछार बाणगंगा सिवनी धसान केन, राजघाट नहर प्रोजेक्ट नर्मदा मालवा लिंक प्रोजेक्ट भोपाल आदि के लाख करोड़ रुपए से ज्यादा चल रही परियोजनाओं में भी यही खेल हो रहा है जो और पुनःइसी विभाग के मंत्री बना दिए गए।

शिवराज के मुख्यमंत्री काल में केवल भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर था परंतु उसे उच्च स्तर को बनाए रखने शिवराज उसके भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारियों के चांडाल गिरोह निर्माण कार्यों खरीदी ट्रेडेशनमें मोतीकमीशनसे आगे बढ़कर भीकर्मचारियों अधिकारियों से लूट और वसूलियों के अनेकों षड्यंत्र स्थापित किये। पूर्व में विभागों में भर्तियों में पद स्थापना स्थानांतरण और पद्धति आदमी अपने ही कर्मचारियों से मोती बसाए वसूली वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी कर लिया करते थे।

पहली बार मुख्यमंत्री बने और सामान्य प्रशासन गृह जेल जनसंपर्क औद्योगिक नीति व निवेश, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आदि सभी विभाग जिनके मंत्री नहीं हैं। वे सब पूर्व की तरह मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। कल विभागों का बजट 16607 करोड़ रु इसमें सबसे ज्यादा 10298 करोड़ रु गृह विभाग का बजट है। गृह विभाग का आधा पैसा कागज मेंही बड़े-बड़े ठेकों में खर्च किया जाता है। बड़ी-बड़ी योजनाएं जो जन हित नहीं अधिकारियों और मंत्री के हितकारी होती हैं। का हिस्सा दिल्ली भी जाएगा। दूसरी तरफ सभी प्रकार कीकर संगठित अपराधी ग्रहों को पालकर मोती वसूली की जाएगी वैसे भी प्रदेश में इंदौर भोपाल में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है जिसे जबलपुर और ग्वालियर में भी विस्तार किया जाएगा ताकि वहां पर भी सभी प्रकार के अपराधों जुए सट्टे यौनाचार भू कॉलोनी ड्रग शराब नशे के वितरक व विक्रेताओं, शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन खनन खनन माफियाओं आदि आदि को पाल पोस्कर संरक्षित कर मोटी वसूली करदिल्ली तक पहुंचाने के लिएही गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है बाकी आगे देखिए होता है क्या-क्या?

खनन माफिया राजेन्द्र शुक्ला
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जो

पूर्व से ही खनन माफिया रहे हैं को स्वास्थ्य विभाग का पूरा जिम्मा दे दिया गया है ताकि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों मोदी मित्रों अडानी अंबानी टाटा बिरला अमेजॉन वॉलमार्ट आईटीसी मिनी लीवर का माल दिखाते रहें और उसमें कोई जांच पड़ताल ना हो औषधीय की खरीदी मेंअभी 30 40% कमीशन चलता है फिर 80% कमिशन पर खरीदी की जाएगी। स्वास्थ्य माफियाओं यथा निजी अस्पतालों डॉक्टरों चिकित्सा शिक्षा आदि में आयुष्मान भारत व अन्य योजनाओं आदि का मोटा पैसा वसूल किया जाता है और किया जाएगा। यदि पुनः कोरोना का तांडव किया जा सकेगा तो कमाई कई गुना बढ़ भी सकती है। वैसे भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनका तो हजारों करोड़ प्रदेश को मिलता ही है।

भूमाफिया कैलाश विजयवर्गीय पूर्व मंत्री

इंदौर के भू माफिया कैलाश विजयवर्गीय बेचारे मुख्यमंत्री के बाद बनते बनते उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन सके और अपनीबड़ा भू माफिया बनने की इच्छा को पूरा करने शहरीय विकास मंत्री अवश्य बन गए चारों बड़े शहरों इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर में बाईपास वह उसकी जमीनों में मोटी कमाई करने के साथ-साथ, विकास प्राधिकरणों नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों की भूमि के भूमाफियाओं कॉलोनी माफियाओं के साथ पद पर रहने तक खेल करेंगे ही साथ ही चारों बड़े शहरों में मिलकर 1000 सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने में लाखों करोड़ का खेल कर सकेंगे। दूसरी तरफ केंद्र की शहरीय विकास की योजनाओं में आने वाला हजारों करोड़ के धन में बड़े-बड़े ठेके देकर मोटे कमीशन की व्यवस्था भी की जा सकेगी।

राकेश सिंह लोक निर्माण विभाग तो पूर्व से ही अपनी कमीशन खोरी निर्माण रखरखाव कार्यों में भ्रष्ट कार्यों के लिए सम्मान से जाना जाता है। पूरा विभाग प्रमुख, मुख्य अभियंता से लेकर अधीक्षक कार्यपालन सहायक उप यंत्रियों तक प्रभार में प्रभार से ही चलाया जा रहा है। अब वैसे तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकांश ठेके तिगुनी से 10 गुना लागत के मोदी के खास मित्र अडानी के पास हैं। पर इस विभाग में भी अब अधिकांश काम नियोजन निर्धारण के कार्य अर्थात डीपीआर सर्वे नियंत्रण देखरेख व गुणवत्ता के कार्यों के लिए भी ठेका एंजेंसियों को मोटे कमीशन पर दिए जाने लगे हैं। जिससे अधिकांश भवन पथ के निर्माण कार्यों की लागत कई गुना होने के साथ में भी गुणवत्ताहीन होते जा रहे हैं। के पीछे भी प्रभार का प्रभार चुकाने के लिए कार्यों में अधिक प्रभार वसूलना ही है।



370 हटाने का फायदा केवल सत्ताधीशों और पूंजीपति मित्रों को

हज़ारों हज़ार नाकामियाँ झूमला फेंकें सरकार के भीषण कुप्रबन्धन व निक्केमेपन का दुष्परिणाम है और अनुच्छेद 370 हटाकर काश्मीर को पण्डितों व हिन्दू सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों व विभिन्न तरह के कामगारों के मौत का दरिया व फ़ौज के लिए शमशान घाट बना डाला है। फ़ौजियों की लाशों पर जम्मू काश्मीर में शगूफ़ों बाजों की सरकार बनाने के षड्यंत्र को कामयाब बनाने की हवस व लालच में देश को सदियों के लिए भयावह संकट में फँसा डाला है। पुलवामा में चालीस फ़ौजियों की लाशों का बदला लेकर पाकिस्तान को कुचलने की बजाय फ़ौजियों की लाशों पर अपनी सरकार बनाने की इसी धिनौनी कसरत से जम्मू काश्मीर में हो रही फ़ौजियों की मौतों पर जम्मू काश्मीर में ही नहीं पूरे देश में फिर से अपनी सरकार बनाने का रास्ता सुगम बनाना है और देश को गुमराह बनाने में सफल होना ही उनकी सत्ता हड़पों अभियान का एक गहरा खेल है।

ये कितने कायर व बुझदिल हैं कि चीन दादागिरी के साथ हमारा बहुत बड़ा भूभाग हड़पकर बैठा है और कई गाँव भी बसा चूका है मगर हमारी चीनी माल के बहिष्कार वाली सरकार मण्डली उसके सामने दुम हिलाते घुटने टेक चरणमुद्रा में हाथ बाँधे खड़ी हैं और राष्ट्र को कभी अक्साई चीन तो कभी पी.ओ.के. को ले लेने के झूठे सपने दिखाए व शगूफ़े छोड़े व दागे जा रही हैं। धारा 370 हटाने के बाद पूरे कश्मीर में सारे सेव बगीचे वह उसके उत्पादनका पूरा व्यवसाय अब अडानी के हाथ में है। उसके नियंत्रण में आने के बाद जो सेव 18-19 में अच्छा 40 रु. 50 किलो बिकता था। उस सेव का व्यवसाय अडानी के नियंत्रण में आने के बाद अब भारत में निम्न गुणवत्ता का सेव भी सो डेढ़ सौ रूपए किलो चल रहा है। जबकि वही अच्छा सेव पूरा विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है यही हाल कश्मीरी केसर का हो गया जो केसर 370 हटाने के पहले 20 से 25000 रूपए किलो बिकती थी अब वही केसर लाख रु प्रति किलो बिकने लगी। दूसरी तरफ 370 के हटाने के बाद वहां पर जितने भी अच्छे पर्यटनस्थल थे वहां परअब अंबानी अडानी की होटल खड़ी की जाने लगी अन्य पूंजीपतियों के बावड़ी रिजॉर्ट्स इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं आम आदमी को 370 हटाने के बाद क्या फायदा हुआ उल्टे ही वहां की जनता ज्यादा बेवस हो गई। नहीं वहां पर आतंकवाद रुका और कुछ दिनों में तो हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं जिसमें बरामुला आदि जिले हैं जहां राज्य के पुलिस घुसती नहीं वहां पूरा नियंत्रण आतंकवादियों का है। वही हाल आतंकवाद बढ़ने के साथ-साथ जो मुठभेड़ में आतंकवादियों को मारने की घटनाएं होती हैं यथार्थ में पूरी फर्जी होती हैउन आतंकवादियों को करने के नाम पर विचारक गरीब घर चलाने वाले छोटे-मोटे चोरी अपराध करने वाले लोगों को जेलों से निकालकर आतंक के आरोप में खुले में दौड़ा कर उनको गोलियां मार दी जाती हैं।

यह हुआ 370 हटाने का फायदा सत्ताधीशों और उनके पूंजीपति मित्रों को मिला। सेना पुलिस अब ज्यादा कमजोर और परेशान है।

कांग्रेसी निकम्मों अब तो जागो!

कांग्रेसी निकम्मों ठोको और भागो कानून के खिलाफ पूरे देश में ट्रक बस कार ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। तत्काल उनके साथ शामिल होकर आंदोलन को पूरे देश में गहरा कर इवीएम की लड़ाई भी लड़ व लड़वा लो। इवीएम हटवाने के खेल को जन सहयोग से तरीके और पूरी तन्मयता से खेले।

यह इवीएम का ही परिणाम था। की तीन राज्यों की सत्ता हथियाते ही आसानी से उन्होंने विपक्ष के 146 सांसदों को बाहर निकालने का जो उद्देश्य था। वह इन कानूनों को बना व थोप

कर जनता में भारी कानूनों का भय फैलाना व गुलामों की तरह हांकना चाहती है। वह समझ में आ गया होगा। यदि वह इवीएम की जालसाजी नहीं करती तो चुनाव हार जाती और वह कानूनसंसद में लेकर ही नहीं आती। यह यह बात पूरे देश की जनता को समझाओ, इस बहनए जनता को सड़कों को उतार कर इवीएम हटवाने के साथ इन कानूनों को भी अवैध घोषित करवा हटवाओ। उसकी भी लड़ाई इसी लड़ाई में शामिल करके पूरे कानून को अवैध घोषित करवाओ।

जब विपक्ष था ही नहीं तो अपने बाप की जागीर थी जो एक तरफा

कानून पास कर लिए। आप सब खडगे से लेकर नीचे तक हाथ आये सुनहरे मौकों के फायदा उठाने में भी सक्षम नहीं।

और यह भी नहीं कर सकते हो, तो चूड़ियां पहन कर घाघरा लुगड़ी ओढ़ नृत्य करना सीख लो। ताकि सत्ता के गलियारों में नाच गाकर जीवन यापन कर लेना। खत्म कर दो कांग्रेस, नामदों तुम्हारी औकात नहीं कि तुम जनता की लड़ाई लड़ लो। और सत्ता का तुम्हारा खाब इवीएम के रहते इस जन्म में पूरा होने वाला नहीं। डरपोक सारे नेता सत्ता के ख्याली पुलव पकाने खाने की बात तो खाब ही रहेगी।

नक्सली खत्म करने के नाम आदिवासियों का कत्लेआम

छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल में कोयला खदानों के लिए पेड़ों की कटाई शुरू, स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों ने किया विरोध

पेज 1 का शेष

छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के हसदेव वन क्षेत्र में परसा पूर्व और कांटा बासन (पीईकेबी) विस्तार कोयला खदानों के लिए पेड़ों की कटाई पुलिस के व्यापक सुरक्षा घेरे के बीच गुरुवार को शुरू हुई, पर्यावरण संरक्षण संघों और वन अधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आदिवासी प्रदर्शनकारियों और प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए पुलिस ने उन्हें उठा लिया।

पीईकेबी कोयला खदान कोयला मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बिजली कंपनी को अंतिम चरण में कोयला उत्खनन के लिए खनन स्थल पर विस्तार की अनुमति दे दी है। कोयला खदान के लिए आवंटित जंगल की 134.760 हेक्टेयर जमीन में से करीब 91.130 हेक्टेयर जमीन खनन के लिए राजस्थान की कंपनी को सौंपी जानी है।

इसलिए, वन विभाग और सरगुजा जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कोयला खदान के विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई की कवायद शुरू करने का फैसला किया। विरोध और भारी प्रदर्शन के पिछले अनुभवों

के कारण, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले साल जून में हसदेव अरंड में तीन खनन परियोजनाओं के लिए खनन संबंधी प्रक्रिया रोक दी गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ में कोयला खनन कार्य के विस्तार पर नाराजगी जताई थी।

नवीनतम विकास और आरोपों की प्रतिक्रिया में कि पुलिस और प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार के प्रदर्शन से दूर रहने की धमकी दी जा रही है, किसान कार्यकर्ता राकेश टिकैत ने इस कदम की निंदा करते हुए एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कई किसान मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है जबकि स्थानीय आदिवासी लड़ रहे हैं। उनके जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए।

‘क्या प्रदर्शनकारी किसानों और मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई करना आदिवासी मुख्यमंत्री का यह पहला काम है? हसदेव जंगल को बचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम जंगल के अंदर जाकर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकारें अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का पक्ष लेना चाहती हैं, टिकैत ने कहा।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने कहा कि

हसदेव में पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी गई है और 30,000 से अधिक पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में 2.5 लाख और पेड़ काटे जाएंगे। ‘क्या यह सच है कि आज आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 हेक्टेयर वन भूमि पर खनन की अनुमति दे दी गई है? अभी सरकार बनी है और आपने अभी तक गरीबों को कुछ नहीं दिया और अडानी को देना शुरू कर दिया। महंत ने कहा, गरीबों का जल, जंगल, जमीन अडानी को मत दीजिए।

ऐसी खबरें थीं कि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला और हसदेव की ओर बढ़ रहे अन्य कार्यकर्ताओं को जिले की सीमाओं पर रोक लिया गया और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

टीओआई से बात करते हुए, सरगुजा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने कहा, ‘कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चूंकि पिछले साल मार्च-अप्रैल में खनन स्थल पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और आगजनी और दंगों के लिए कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, पुलिस टीमों ने गुरुवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों से संपर्क किया



था और उन्हें कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी का कारण नहीं बनने की सलाह दी थी। परिस्थिति। उनसे पिछली बार हुई हिंसा से दूर रहने को कहा गया। उनमें से किसी को भी नहीं चुना गया। विस्तार की प्रक्रिया अब तक बिना किसी घटना के शांतिपूर्वक चल रही है।’

एसपी ने स्पष्ट किया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जा रही है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन (सीबीए) के प्रतिनिधियों ने हसदेव में सरकार के कदम के खिलाफ बिलासपुर में विरोध प्रदर्शन किया।

सीबीए के आलोक शुक्ला ने कहा, ‘हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के युवा साथियों रामलाल करियाम, घाटबरी गांव के सरपंच

जयनंदन पोते और ठाकुर राम को पुलिस ने उठा लिया। हम इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और चल रहे वनों की कटाई के अभियान पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हैं। हसदेव नदी और मिनिमता बांगो बांध के जलग्रहण क्षेत्र से चार लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हसदेव में कोयला खनन से नदी और बांध का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। राज्य में मानव-हाथी संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि फिर कभी इस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के संजय पराते ने आंदोलनकारियों और ग्रामीणों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, ‘छत्तीसगढ़

विधानसभा ने पिछले साल 24 जुलाई को सर्वसम्मति से एक गैर-सरकारी प्रस्ताव पारित किया था कि हसदेव अरण्य को खनन मुक्त रखा जाना चाहिए। पूरा क्षेत्र पांचवीं अनुसूची में आता है और किसी भी ग्राम सभा ने खनन की अनुमति नहीं दी है और कोयला खनन वन अधिकार अधिनियम, पेसा अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन है।

छत्तीसगढ़ की नई भाजपा सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में विवादास्पद कोयला खनन फिर से शुरू किया: कॉर्पोरेट राज की आशंकाओं के बीच वनों की कटाई फिर से शुरू होने पर आदिवासियों और पर्यावरणविदों का सरकार और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ आमना-सामना हो गया है।

हित एंड रन या ठोको और भागो कानून का विरोध, हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर

देशभर में चक्काजाम और प्रदर्शन; नए कानून में रु. 10 लाख जुर्माना, 10 साल सजा

बिना देखे, जाने, समझे व छोटी गाड़ी चालक की गलती पर भी चालक को सजा कानून का दुरुपयोग

सरकार ने कानून के कड़े प्रावधान करके भारी गलती तो की है। दूसरी तरफ बड़ी गाड़ी चालक जो व्यवसायिक अनुज्ञापिधारी बहुत समझ कर गाड़ी चलाते हैं इसके विपरीत छोटे कार, मोटरसाइकिल गाड़ी चालकों जिसमें आवश्यक भी होते हैं। ज्यादा जल्दी नाटक नौटंकी करने के चक्कर में बड़ी गाड़ी चालकों के सामने सेस्पिड से निकाल करते हैं और दुर्घटना का कारण बनते हैं ऐसी अवस्था में भी दोषी बड़ी गाड़ी वाला ही होगा जबकि उसने अपराध नहीं किया और बचाने की पूरी कोशिश की, इसके विपरीत सारी कोशिशों के बाद भी दुर्घटना घट गई। इस अवस्था में निर्दोषके जीवन की बाली के साथ उसके परिवार की भी बलि चढ़ जाएगी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी तरफ देश की 90% सड़कें ना तो उचित चौड़ाई की है ना ही उनका रख रखाव अच्छा है। गड्डे, उनके रखरखाव को ढंग से पूरा न कर उसे पर काम चलाऊ थिंगलों से भाई कर देने पर सड़कें ऊबड़ खाबड़ हो जाती हैं और यह दशा अधिकांश नगर निगमों पालिकाओं, परिषदों की सड़कों से लेकर गांव तक और सभी प्रकार के राष्ट्रीय वह राज्यों के राजमार्गों के साथ ही सारे के सारे प्रदेशों के और देश के टोल नाकों वाली सड़कों के भी यही हाल हो रहे हैं। उसके बारे में कानून कुछ नहीं बोलता जो की दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण होता है। सड़कों की पूरे देश के अंदर उचित व पर्याप्त चौड़ाई नहीं है। बनावट ठीक नहीं है।

पर कानून में इन दोषों पर जिम्मेदार अधिकारी सरकार पर कोई जुर्माने की व्यवस्था नहीं।

आखिर क्यों? क्या सारे दोष व जिम्मेदारी केवल जनता की ही है। दूसरी तरफ हर दिन पूरे देश में 10000 से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें 8000 से ज्यादा दुर्घटनाएं शहरीय क्षेत्रों में कम चौड़ी, मोड़ चौराहों पर उचित संकेतक व सड़कों की बनावट और रख रखाव जिम्मेदार होती हैं। इस ठोको और भागो कानून बनाने से पहले सभी क्षेत्रीय निकायों संबंधित विभागों लोक निर्माण विभाग व अन्य सभी जिम्मेदार संस्थाएं जो सड़कों की बनावट रखरखाव के लिए जिम्मेदारी उनको भी जिम्मेदार बनना चाहिए केवल चालक ही जिम्मेदार नहीं दूसरी तरफ जो ट्रकों वाहनों पर चालक

का कार्य करते हैं वह विधि इस लायक होते की 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा होने पर भी उनके परिवार न्यूज़ जुड़ेगा तो वह वाहनों पर चालक की नौकरी ही क्यों करते। वर्तमान में केंद्र की सरकार में स्वयं तड़ीपार और अन्यायनी को अपराधों के दोषी उसे सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए हैं अपने कुकर्म को छुपाने जनता को परेशान करने नए-नए कानून थोप कर अपने आप की जो महानता के मील के पत्थर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यही होशियारी किसानों के आंदोलन की तरह इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भी धराशायी हो जाने वाली है जनता को चाहिए कि वह केवल इस कानून के विरुद्ध ही नहीं बल्कि एवं के विरोध में भी सड़कों पर उतरकर पूरे देश के सारे वाहनों के चक्के जाम कर दे जब तक कानून नहीं हटाया जाए देश को खुलने नहीं दिया जाए बेशक रोजमर्रा की चीजों के कारण आम गरीब आदमी परेशान होगा और जब तक वह परेशान नहीं होगा जब तक वह जागेगा भी नहीं।

जब स्वयं सरकार स्वीकार करती है, की 50000 से ज्यादा लोगों की मौत ठोको और भागों में हो जाती है। फिर भी आधारभूत आवश्यकता मार्गों के सुचारु प्राचालन की थी। पहले सरकार को उस पर कानून बनाना चाहिए। अर्थात् सरकार स्वयं पहले अपनी छोटे के निर्माण रखरखाव बनावट की कमियां दूर करें।

दूसरी तरफ दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की हर नगर शहर संभागीय और राज्य के स्तर पर कहीं नहीं होता।

जबकि दुर्घटनाओं को रोकने दुर्घटना जांच संस्था का हर नगर, शहर में की नगर निगम पालिकाओं परिषदों में व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसे स्थान तिराहों, चौराहे, मोड़ों, सड़कों पर निगरानी रखो सुधार कार्य करवा कर दुर्घटनाओं को रोकने का निश्चित कार्यक्रम स्थाई रूप से चलता रहे। और इसका कार्यक्रम इस प्रकार का हो की सड़कों की बनावट, चौड़ाई, तिराहों, चौराहों, मोड़ों को सुधारने पुनः निर्माण आदि के सारे कार्य कार्यक्रम क्षेत्रीय व राज्य सरकार की जिम्मेदारी में सतत चलते रहना चाहिए। इससे दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सकेगा और उसे



कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यह सारा कार्यक्रम श्रम सरकार को इस कानून को बनाने से पहले लागू करना था।

देश में लागू हुए नए हित एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्ट और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद गरीब आदमी परेशान होगा और जब तक वह परेशान नहीं होगा जब तक वह जागेगा भी नहीं।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने हित एंड रन या 'ठोको और भागो' कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन ने चक्काजाम का आह्वान किया। इसके बाद से देशभर में हड़ताल शुरू हो गई है। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स ने शनिवार 30 दिसंबर को जयपुर, मेरठ, आगरा एक्सप्रेस वे सहित कई हाईवे पर प्रदर्शन किया।

पूरे देश में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज

पूरे देश में राष्ट्रीय व राज्यों के राजमार्गों पर बंद कराने की कोशिश की, जिससे लंबा जाम लग गया। इस दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने एक बस की खिड़की के कांच तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। यहां कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

ट्रकों की हड़ताल से जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे

इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिलेगा। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं

होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी।

भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं, जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है।

हित एंड रन कानून पर विचार करे सरकार

AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। इसमें फैंसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती, तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए।

नए प्रावधान को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए AIMTC के अध्यक्ष अमृत मदान ने कहा कि हित एंड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत जरूर है। इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं। इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है। भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।

देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव

AIMTC का कहना है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। ऐसे मामलों में जब कोई एक्सीडेंट होता है, तो बिना किसी जांच के बड़े वाहन चालक की गलती करार दी जाती है। यह नहीं देखा जाता कि गलती बड़े वाहन चालक की है या छोटे वाहन चालक की।

मामले में अध्यक्ष मदान का कहना है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर बचने के इरादे से नहीं भागता बल्कि, बेकाबू होती भीड़ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है। ऐसे में उस पर सजा का प्रावधान और जुर्माना लगाना ठीक नहीं है।

नए दंड कानून, भारतीय न्याय संहिता, का अधिनियमन, जो अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है, का उद्देश्य हित एंड रन दुर्घटना के मामलों के खतरे को रोकना है, जो सालाना लगभग 50,000 लोगों की जान ले लेते हैं। नए प्रावधान के अनुसार, यदि घातक दुर्घटना का कारण बनने वाला कोई भी आरोपी अधिकारियों को सूचित किए बिना साइट से भाग जाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल होगी और जुर्माना भी देना होगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में इस बात पर स्पष्टता आनी चाहिए कि कैसे एक आरोपी या ड्राइवर अधिकारियों को सूचित करता है, यह देखते हुए कि उन्हें दुर्घटना स्थलों पर लोगों के गुस्से का जोखिम उठाना पड़ सकता है और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस

प्रावधान का दुरुपयोग न हो।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सप्ताह संसद के दोनों सदनों को बताया कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि स्वेच्छा से उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी। पुलिस को सूचित करें और घायलों को अस्पताल ले जाएं। भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

संसद द्वारा पारित भारतीय न्याय संहिता ने 'लापरवाही से मौत का कारण' के तहत दो श्रेणियां बनाई हैं। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी बिना सोचे-समझे या लापरवाही से ऐसा काम करके मौत का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे पांच साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दूसरे भाग में कहा गया है, जो कोई भी तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

हित एंड रन मामले वे होते हैं जहां सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहन का चालक घटनास्थल से भाग जाता है। वर्तमान में, हित एंड रन मामलों में आरोपियों पर उनकी पहचान के बाद धारा 304ए के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें दो साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ रोहित बलूजा, जो पुलिस अधिकारियों को दुर्घटना जांच और कानूनी प्रावधानों पर प्रशिक्षित करते हैं, ने कहा कि सरकार को यह बताने की जरूरत है कि इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए पीड़ित या आरोपी के दावों की प्रामाणिकता के लिए किस तरह के सबूत स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'जब तक फॉरेंसिक साक्ष्य जांच और निर्दोषों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों के आधार पर नहीं बनाए जाते, लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में, सड़क दुर्घटना के मामलों में शायद ही किसी फॉरेंसिक साक्ष्य का उपयोग किया जाता है।'